मध्यप्रदेश निरसन अधिनियम, 2016

1. संक्षिप्त नाम.

2. कतिपय अधिनियमितियों निरसन.

3. व्यावृत्ति.

- अनुसूची

मध्यप्रदेश निरसन अधिनियम, 2016

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 19 सन् 2016

[दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 28 अप्रैल, 2016 को प्रथम बार प्रकाशित की गई].

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के सडसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निरसन अधिनियम, 2016 है.

कतिपय अधिनियमितियों निरसन.

2. अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का उसके चौथे कॉलम में वर्णित की गई सीमा तक एतद्द्वारा निरसन किया जाता है.

व्यावृत्ति.

3. इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से, किसी अन्य अधिनियमिति पर, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गई है, सम्मिलित अथवा निर्दिष्ट की गई है, पर प्रभाव नहीं पड़ेगा.

और यह अधिनियम पूर्व में ही की गई या भुगती गई किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम पर या पूर्व में ही अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व पर, या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही पर या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग पर या उससे किसी निर्मुक्ति या उन्मोचन पर, या पूर्व में ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति पर या- भूतकाल में किए गए किसी कार्य या बात के सबूत पर प्रभाव नहीं डालेगा;

और यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धांत या नियम पर, या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के रूप में या अनुक्रम पर, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति पर इस बात के होते हुए भी प्रभाव नहीं डालेगा कि वह क्रमशः किसी ऐसी अधिनियमिति द्वारा, जो कि एतद्द्वारा, निरसित की गई है, उसमें या उससे किसी रीति में अभिपुष्ट किया गया है या मान्यताप्राप्त है या

ब्यूत्पन्न है;

और इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से किसी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्धन, छूट, प्रथा पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात का, जो अब विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, पुन : प्रवर्तन या प्रत्यावर्तन नहीं होगा.

अनुसूची
(धारा 2 देखिए)

निरसन

वर्ष (1)	क्रमांक (2)	संक्षिप्त नाम (3)	निरसन की सीमा (4)
1945	1	द सेल्स ऑफ लैण्ड फॉर रेवेन्यू एरियर्स एक्ट, 1945	सम्पूर्ण
1850	26	द इव्यूवमेंस्स इन टाउन्स एक्ट, 1850	सम्पूर्ण
1853	6	द रेन्ट रिकवरी एक्ट, 1853	सम्पूर्ण
1961	16	द स्टेज केरीएजेज एक्ट, 1961	सम्पूर्ण
1863	19	द पार्टीशन ऑफ रेवेन्यू पेइंग एस्टेटत्स एक्ट, 1863	सम्पूर्ण
1871	14	द हेकनी केरिएज एक्ट, 1871	सम्पूर्ण
1881	18	द सेन्ट्रल प्राविन्सेस लैन्ड रेवेन्यू एक्ट, 1881	सम्पूर्ण
1883	19	द लैण्ड इखूवमेंट लोन्स एक्ट, 1883	सम्पूर्ण
1818	11	द सेन्ट्रल प्राविन्सेस टेनेंसी एक्ट, 1818	सम्पूर्ण
1808	13	द सेन्ट्रल प्राविन्सेस फायनेंशियल कमिश्नर्स एक्ट, 1808	सम्पूर्ण
1914	9	द लोकल अथोरिटीज लोन्स एक्ट, 1914	सम्पूर्ण
1919	1	द लोकल अथोरिटीज पेन्हान्स एण्ड ग्रेक्षटीज एक्ट, 1919	सम्पूर्ण